है, का पहले से ही क्रियान्वयन किया जा रहा है, और यह मई 1985 से विश्व बैंक की सहायता प्राप्त कर रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) परियोजना आर्थिक रूप से व्यवहार्य समझी गयी है तथा इस परियोजना से सिंचाई क्षमता तथा विद्युत उत्पादन के रूप में काफी लाभ प्राप्त होने की आशा है और परियोजना में निर्माण कार्य प्रगति पर है।

विदेशी ऋण

379. श्री राम जेठमलानी :
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले वर्ष के अन्त तक भारत पर विदेशी कर्ज की राशि अत्यधिक बढ़ गई थी;

(ख) यदि हां, तो ऐसे ऋण की कुल राशि कितनी थी ; और

(ग) इस ऋण पर भारत सरकार को कुल कितना वार्षिक ब्याज देना पड़ेगा ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) और (ख) मार्च, 1988 और मार्च, 1989 के अन्त तक की स्थिति के अनुसार, देश पर कुल बकाया विदेशी ऋण, जिसमें अनिवासी भारतीयों की जमा राशियां सम्मिलित नहीं हैं, क्रमशः 54408 करोड रुपये और 68831 करोड़ रुपये का था।

(ग) बकाया ऋण पर वर्ष 1989-90 के दौरान अदा किये जाने वाले ब्याज की राशि लगभग 3342 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

'वसा युक्त एल्कोहल' का उत्पादन करने वाली कम्पनियों के लिये नारियल के तेल पर आयात शुल्क से छूट

380. सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में वसायुक्त एल्कोहल का उत्पादन करने वाली कम्पनियों को नारियल के तेल का आयात करने के लिये आयात शुल्क से छूट दी जाती है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी छूट दी जाती है और उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनको अब तक यह छूट दी गई है ;

(ग) क्या सरकार आम उपभोक्ता को राहत देने के लिये उपभोक्ता द्वारा सीधे उपयोग किये जाने वाले नारियल तेल के आयात पर भी आयात शुल्क घटायेगी ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में योजना क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) नारियल के तेल के लिये आयात शुल्क की सामान्य प्रभावी दर मूल्यानुसार 170% है। वसायुक्त एल्कोहल के निर्माण में प्रयोग किये जाने वाले नारियल के तेल पर आयात शुल्क से अलग से कोई छूट नही है।

(ख) से (घ) प्रश्न नही उठते।

Credit insurance system of commercial banks

381. SHRI KAMAL MORARKA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the credit insurance system of the commercial banks has run into troubled waters;

(b) whether it is also a fact that the public sector banks are trying to opt out of the scheme;

(c) if so, what steps are being proposed in this respect;

(d) what has been the yearly premium amount paid by the banks under the scheme; and

(e) what is the number of claims lodged and how many of them have been settled during the last five years?

THE MINISTER OF FINANCE (PROF. MADHU DANDAVATE): (a) No, Sir.

(b) and (c) RBI has reported that so far no public sector bank has requested it for opting out of the scheme. However, a few banks had written to RBI regarding the implications of the increase in the DICGC Guarantee Premium on the profitability of the banks. However, in the light of the various inquiries received by RBI from banks as to whether they can pass on the DICGC Guarantee fees to the borrowers, the matter was examined by RBI in all aspects and banks were advised to follow the following procedures:

(i) Banks will continue to bear the the guarantee fees in respect of advances to weaker sections, pure consumption loans, etc. as hitherto.

(ii) In the case of advances where the banks charge interest at 16 per cent or more, the banks will have to absorb the guarantee fees.

(iii) In all other cases, the banks should ensure that the lending rates as stipulated together with the guarantee fee, irrespective of whether it is levied separately or not, does not exceed 16 per cent.

(d) and (e) As per the information furnished by the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC), the yearly guarantee fees paid by the participating credit institutions, claims lodged and claims settled for the last 5 years are as under:—

(Rs. in crores)

Year	Guarantee Fee Receipt	Claims Receipt	Claims Settled
1984	87.91	115.69	45.82
1985	105.66	186.90	139.53
1986	127.25	245.86	243.46
1987	145.17	386.95	236.57
1988-89	191.89	580.97	437.17